19

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर कैंप जबलपुर

R-333-I-17

प्रकरण क्रमांक पुनरीक्षण /2016 जिला–सिवनी

1– मुस. चमरीबाई बेवा सुकलू तेली
2– बंशी आत्मज सुकलू जाति तेली
3– लक्ष्मण आत्मज सुकलू जाति तेली
4– शंकर आत्मज सुकलू जाति तेली
5– राकेश आत्मज सुकलू तेली
6– श्रीमती गुलाबवती बाई आत्मज सुकलू तेली
पति सुन्दरलाल तेली
7– श्रीमती तुलसाबाई आत्मजा सुकलू तेली
पति धनीराम तेली
कं. 1 से 6 निवासी वर्तमान रूपघर
थाना रूपझर तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट
कं. 7 निवासी खरबी थाना व तहसील
जिला भंडारा महाराष्ट्र ----- आवेदकगण

विरूद्ध

1– राजेश पिता धनसिंह जाति किरार
निवासी दुधिया थाना व तहसील केवलारी
जिला सिवनी म0प्र0
2– म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर, सिवनी ----- अनावेदक

न्यायालय कलेक्टर, जिला सिवनी द्वारा प्रकरण क्रमांक 17/अ–21/2013–14 आदेश दिनांक 3–3–16 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से निम्नाकिंत निवेदन है कि :–

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है ।

2. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदकों द्वारा इस आशय का आवेदन पेश किया गया कि ग्राम दुधिया प.ह.नं. नया 15 रा.नि.मं. पलारीतहसील केवलारी जिला सिवनी स्थित भूमि खसरा नं. 37 रकबा 1.330 हैक्टर लगभग 35–40 वर्ष पूर्व शासन द्वारा आवेदकगण के दादा पंचम को पट्टे पर प्राप्त हुई थी । पंचम की मृत्यु के बाद आवेदकगण के पिता सुकलू का नामांतरण उक्त भूमि पर किया गया सुकलू की मृत्यु वर्ष 2005 में हो चुकी है । सुकलू की मृत्यु के उपरांत उक्त भूमि

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 333–एक/17 जिला – सिवनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1-2-17	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी आवेदकों द्वारा कलेक्टर, जिला सिवनी के प्रकरण कमांक 28/अ–21/15–16 में पारित आदेश दिनांक 3.03.2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदकों द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय का आवेदन पेश किया गया कि ग्राम दुधिया प.ह.नं. नया 15 रा.नि.मं. पलारी तहसील केवलारी जिला सिवनी स्थित भूमि खसरा नं. 37 रकबा 1.330 हैक्टर लगभग 35–40 वर्ष पूर्व शासन द्वारा आवेदकगण के दादा पंचम को पट्टे पर प्राप्त हुई थी । पंचम की मृत्यु के बाद आवेदकगण के पिता सुकलू का नामांतरण उक्त भूमि पर किया गया सुकलू की मृत्यु वर्ष 2005 में हो चुकी है । सुकलू की मृत्यु के उपरांत उक्त भूमि आवेदकगण के नाम अंकित है । आवेदकगण बालाघाट जिले में निवास करने लगे हैं और वहां से आकर उक्त भूमि पर काश्त करने में कठिनाई होती है । अतः आवेदकों को भूमि विक्रय की अनुमति दी जाये । उक्त आवेदन पर से कलेक्टर द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुविभागीय अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया । अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त आवेदन तहसीलदार को जांच हेतु भेजा, जिस पर से तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच कर भूमि विक्रय की अनुशंसा का प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित किया गया । प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत कलेक्टर ने आलोच्य आदेश	

R 333-I/17

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	दिनांक 3–3–16 द्वारा यह मानते हुए कि म0प्र0 राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 21–8–15 के द्वारा शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि का अंतरण करने हेतु संहिता की धारा 165 की उपधारा 7 ख में उपखंड अधिकारी को अधिकार अभिलेख में दर्ज अहस्तांतरणीय प्रविष्टि को हटाने के आदेश दिए गये हैं, इस कारण आवेदन विचार योग्य न होने से निरस्त किया जाता है । कलेक्टर के उक्त आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । 3– आवेदक अधिवक्ता द्वारा विलंब के संबंध में यह तर्क दिया गया है कि कलेक्टर के आदेश के उपरांत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदकगण का आवेदन निरस्त कर दिया गया जिसके बाद आवेदकगण ने कलेक्टर के समक्ष विविध आवेदन पेश किया जो कलेक्टर ने इस आधार पर निरस्त कर दिया गया इसी विषय वस्तु का निराकरण आदेश दिनांक 3–3–16 द्वारा किया जा सका है अतः पुनः इस न्यायालय को सुनने का अधिकार नहीं है । आवेदिका सक्षम न्यायालय में अपील कर सकती है । इस कारण निगरानी प्रस्तुत करने में विलंब हुआ है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा गुणदोष पर यह तर्क दिया गया गया कि कलेक्टर द्वारा प्रकरण के तथ्यों को अनदेखा करते हुए आवेदकों का विविध आवेदन निरस्त किया है क्योंकि जिस अध्यादेश के आधार पर आवेदक का मूल आवेदन निरस्त किया था उक्त अध्यादेश की अवधि कलेक्टर के आदेश के पूर्व ही समाप्त हो चुकी थी और उक्त अध्यादेश वर्तमान में प्रभावी नहीं है । यह भी कहा गया कि कलेक्टर ने तहसीलदार द्वारा जांच कर अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से प्रेषित प्रतिवेदन को अनदेखा किया गया है । प्रतिवेदन में तहसीलदार द्वारा स्पष्ट किया गया है कि आवेदकों को उचित प्रतिफल मिल रहा है, आवेदकों पर कोई दबाव नहीं है । यह भी कहा गया कि कलेक्टर ने इस तथ्य को भी अनदेखा किया है कि आवेदकगण वर्तमान में	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 333–एक/17 जिला – सिवनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	बालाघाट जिला में रहकर अपना जीवनयापन कर रहे हैं तथा आवेदित भूमि सिवनी जिले में स्थित है जिस पर बालाघाट से आकर काश्त करने में कठिनाई होती है । उक्त आधारों पर उनके द्वारा आवेदक को आवेदित भूमि को विक्रय किए जाने की अनुमति दिए जाने का अनुरोध किया गया है । 4/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं आवेदक की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया । जहां तक विलंब क्षमा किए जाने का प्रश्न है आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताए गए कारण तथा प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए विलंब क्षमा किए जाने में किसी प्रकार की अड़चन नहीं आती है अतः विलंब क्षमा किया जाता है । 5/ जहां तक प्रकरण के गुणदोषों का प्रश्न है यह प्रकरण भूमि विक्रय की अनुमति दिए जाने के संबंध में है । कलेक्टर द्वारा आवेदक का आवेदन इस आधार पर निरस्त किया गया है कि म0प्र0 राजपत्र दिनांक 21–8–15 में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा संहिता की धारा 165 की उपधारा 7 ख में संशोधन कर अहस्तांतरणीय शब्द को विलोपित करने के अधिकार उपखंड अधिकारी को प्रदान किए गए थे, परंतु कलेक्टर द्वारा उक्त निष्कर्ष निकालने के पूर्व इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है कि उक्त अध्यादेश म0प्र0 राजपत्र असाधारण दिनांक 31–12–15 द्वारा निरसित किया गया है अर्थात उक्त अध्यादेश कलेक्टर द्वारा आदेश पारित करने के दिनांक को प्रभावी नहीं था ऐसी स्थिति में जिलाध्यक्ष को आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन का निराकरण गुणदोष पर करना चाहिए था जो उनके द्वारा नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में उनका आदेश विधिसम्मत नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।	

R 333 I/17

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	दिनांक 3–3–16 द्वारा यह मानते हुए कि म0प्र0 राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 21–8–15 के द्वारा शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि का अंतरण करने हेतु संहिता, की धारा 165 की उपधारा 7 ख में उपखंड अधिकारी को अधिकार अभिलेख में दर्ज अहस्तांतरणीय प्रविष्टि को हटाने के आदेश दिए गये हैं, इस कारण आवेदन विचार योग्य न होने से निरस्त किया जाता है । कलेक्टर के उक्त आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । 3– आवेदक अधिवक्ता द्वारा विलंब के संबंध में यह तर्क दिया गया है कि कलेक्टर के आदेश के उपरांत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदकगण का आवेदन निरस्त कर दिया गया जिसके बाद आवेदकगण ने कलेक्टर के समक्ष विविध आवेदन पेश किया जो कलेक्टर ने इस आधार पर निरस्त कर दिया गया इसी विषय वस्तु का निराकरण आदेश दिनांक 3–3–16 द्वारा किया जा सका है अतः पुनः इस न्यायालय को सुनने का अधिकार नहीं है । आवेदिका सक्षम न्यायालय में अपील कर सकती है । इस कारण निगरानी प्रस्तुत करने में विलंब हुआ है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा गुणदोष पर यह तर्क दिया गया गया कि कलेक्टर द्वारा प्रकरण के तथ्यों को अनदेखा करते हुए आवेदकों का विविध आवेदन निरस्त किया है क्योंकि जिस अध्यादेश के आधार पर आवेदक का मूल आवेदन निरस्त किया था उक्त अध्यादेश की अवधि कलेक्टर के आदेश के पूर्व ही समाप्त हो चुकी थी और उक्त अध्यादेश वर्तमान में प्रभावी नहीं है । यह भी कहा गया कि कलेक्टर ने तहसीलदार द्वारा जांच कर अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से प्रेषित प्रतिवेदन को अनदेखा किया गया है । प्रतिवेदन में तहसीलदार द्वारा स्पष्ट किया गया है कि आवेदकों को उचित प्रतिफल मिल रहा है, आवेदकों पर कोई दबाव नहीं है । यह भी कहा गया कि कलेक्टर ने इस तथ्य को भी अनदेखा किया है कि आवेदकगण वर्तमान में	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 333–एक/ जिला – सिवनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	आलोच्य आदेश औचित्यपूर्ण एवं न्यायसंगत न होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा कलेक्टर, सिवनी द्वारा पारित आदेश दिनांक 3–3–16 निरस्त किया जाता है एवं यह निगरानी स्वीकार करते हुए आवेदकगण को उनके भूमिस्वामी स्वत्व की ग्राम दुधिया प.ह.नं. नया 15 रा.नि.मं. पलारी तहसील केवलारी जिला सिवनी स्थित शासकीय पट्टे पर भूदान के रूप में प्राप्त प्रश्नाधीन भूमि खसरा नं. 37 रकबा 1.330 हैक्टर पर से राजस्व अभिलेखों में आवेदकगण के नाम के सामने अंकित अहस्तांतरणीय शब्द की प्रविष्टि विलोपित की जाकर आवेदक को उक्त भूमि को अनावेदक कमांक – 1 श्री राजेश पिता धनसिंह किरार को विक्रय करने की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :– 1– प्रस्तावित केता वर्तमान वर्ष की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो । 2– केता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी । 3– उप पंजीयक द्वारा विक्रयपत्र का पंजीयन, पंजीयन दिनांक को प्रचलित गाइड लाईन की मान से किया जायेगा । पक्षकार सूचित हों । (एम0के0 सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर	